(38)

R.B.E.No. 143 /2009

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(W) 91 PS 5-13/2 **New Delhi, dated 12 -08-2009**

The General Manager (P)
All Zonal Railways &
Production Units.

Sub: Issue of Duty Card Passes to the Government Railway Police personnel.

*****

Attention is invited to the instructions contained in this Ministry's letter No. E(W) 86 PS 5-13/2 dated 21-02-1986 regarding issue of Duty Card Passes to the personnel of Government Railway Police (GRP) who are required to tour frequently in the entitled class available over the entire jurisdiction of the official concerned. Attention is also invited to Board's letter of even number dated 04-01-1999 wherefrom it is borne out that GRP personnel deputed for escort duty in Rajdhani/Shatabdi Express trains have been permitted to undertake journey in Panty Car only of Rajdhani/Shatabdi Express trains co-terminus with the official jurisdiction of duty or the first available halt thereafter and that too for self only.

2. It has come to notice of Board that Duty Card Passes have been issued to GRP personnel with validity for travelling on reserved berths in Rajdhani/Shatabdi trains in violation of Board's extant instructions. This violation has been viewed seriously by the Board and it has been decided that wherever such facility has been extended to GRP personnel, the same should be withdrawn immediately. Board also desire that the instructions dated 21-02-1986 and 04-01-1999 ibid should be scrupulously followed.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Debasis Mazumdar)
Joint Director Estt. (Welfare)
Railway Board.

Contd..2/-

आरबीई सं. 143 /2009

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डब्ल्यू) 91 पीएस 5-13/2 नई दिल्ली, दिनांक 12.08.2009

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां।

विषय: राजकीय रेल पुलिस कार्मिकों को ड्यूटी कार्ड पास जारी करना।

राजकीय रेल पुलिस कार्मिकों, जिन्हें संबद्ध अधिकारी के संपूर्ण क्षेत्राधिकार में पात्र श्रेणी में बारंबार दौरा करना अपेक्षित है, को ड्यूटी कार्ड पास जारी करने संबंधी विषय पर इस मंत्रालय के 21.02.1986 के पत्र सं. ई(डब्ल्यू) 86 पीएस 5-13/2 में अंतर्विष्ट अनुदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। बोर्ड के 04.01.1999 के समसंख्यक पत्र की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिससे यह ज्ञात होता है कि राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में एस्कॉर्ट ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त जीआरपी कार्मिकों को केवल स्वयं के लिए ड्यूटी के आधिकारिक क्षेत्राधिकार अथवा उसके बाद प्रथम उपलब्ध हाल्ट तक ही राजधानी/शताब्दी गाड़ियों में पेन्ट्री कार में यात्रा की अनुमति दी गई है।

2. बोर्ड के नोटिस में यह आया है कि राजधानी/शताब्दी गाड़ियों में आरक्षित शायिकाओं पर यात्रा की वैधता सहित जीआरपी कार्मिकों को जारी ड्यूटी कार्ड पास बोर्ड के मौजूदा अनुदेशों का उल्लंघन हैं। बोर्ड द्वारा इस उल्लंघन को सख्ती से लिया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि जहां कहीं भी ऐसी सुविधा जीआरपी कार्मिकों को दी गई है, उसे तत्काल वापस ले लिया जाए। बोर्ड ने यह वांछा भी की है कि 21.02.1986 एवं 04.01.1999 के उपर्युक्त अनुदेशों का ईमानदारी से पालन किया जाए।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

दे. मजूमदार

(देबाशीष मजूमदार)
संयुक्त निदेशक स्था. (कल्याण)
रेलवे बोर्ड।

ESTT-E (W)